न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2084–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 30.4.2013 पारित – अनुविभागीय अधिकारी गुनौर जिला पन्ना – प्रकरण कमांक 27/अ–68/12–13 अपील

हरिपद वर्मन पुत्र स्व. अश्वनी कुमार वर्मन
निवासी अहिरगवां हाल ग्राम सिली
तहसील गुनौर जिला पन्ना, म0प्र0 ––आवेदक
विरूध्द
मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर पन्ना ––– अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा
अनावेदक के पैनल अभिभाषक

आदेश
(आज दिनांक 2–7–2014 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुनौर व्दारा प्रकरण कमांक 27/अ–68/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.4.2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम सिली ने तहसीलदार गुनौर को प्रतिवेदित किया कि आवेदक ने ग्राम सिली स्थित आराजी कमांक 652/1 के रकबा 0.298 में से 16 फुट 6 इंच वाई 47 फुट 6 इंच भाग पर मकान बनाकर अतिकमण किया है। तहसीलदार ने आवेदक के विरूद्व प्रकरण कमांक 99/अ–68/11–12 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8–10–12 पारित किया एंव ग्राम सिली स्थित आराजी कमांक 652/1 के रकबा 0.298 में से 0.007 आरे पर अतिकमण मानकर आवेदक पर 200–00 रूपये अर्थदंड अधिरोपित कर वेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गुनौर के समक्ष अपील करने पर प्र.क. 27/अ–68/12–13 अपील में पारित आदेश दि. 30.4.2013 से अपील

मुजरा करने पर विलम्ब की गणना करने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील समयावधि में प्रस्तुत हुई है किन्तु अनुविभागीय अधिकारी गुनौर ने अवधि विधान की धारा—5 के आवेदन के तथ्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण नहीं किया है।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)—धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 — पर्याप्त कारण होने से न्यायालय को बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर कर विलम्ब क्षमा किये जाने पर विचार करना चाहिये।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) —धारा 47 — सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार—रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक ने स्पष्ट रूप से बीमार होने का तथ्य बताते हुये पुष्टिकरण में चिकित्सकीय प्रमाणपत्र किया है और जानकारी के दिन से दिन—प्रतिदिन का हिसाव दिया है फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने न्यायदान की दृष्टि से अपील प्रकरण में गुणदोष पर विचार न करने की त्रृटि की है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, गुनौर व्दारा पारित आदेश दिनांक 30.4.13 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी गुनौर व्दारा प्रकरण कमांक 27/अ—68/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.4.2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं वह हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर